न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—373/2019/223 (2019/00373)

1. चन्द्रा उर्फ हरचन्द्रा पुत्र लालू,
2. रामा पुत्र जगन्नाथ,
3. श्रीमती झमकू पत्नि उगमा,
4. कल्याण पुत्र उगमा,
5. मोहन पुत्र उगमा,श
6. देवाल लाल पुत्र उगमा,
7. श्रीमती सुगनी पुत्री उगमा,
8. श्रीमती पारी पुत्री उगमा,
9. श्रीमती मोतिया पुत्री उगमा,
10. श्रीमती उदी पत्नि नन्दा,
11. श्रीमती बसन्ती पत्नि शिवराज,
12. राजू पि0 शिवराज,
13. दीपू पुत्र स्व0 शिवराज नाबालिग जरिये सरंक्षक वली माता स्वंय बसन्ती पत्नि स्व0 शिवराज,
14. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री शिवराज,
15. श्रीमती पुष्पा पत्नि बाबू,
16. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री बाबू,
17. राकेश पुत्र बाबू नाबालिग जरिये सरंक्षक माता स्वंय श्रीमती पुष्पा पत्नि स्व0 बाबू,
18. श्रीमती चन्द्र लेखा पुत्री बाबू नाबालिग जरिये सरंक्षक श्रीमती माता स्वंय श्रीमती पुष्पा पत्नि स्व0 बाबू,

समस्त जाति मीणा, निवासी रात्या का झौपड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती अनोप पत्नि स्व0 बरदा **(मृतक) नाम तर्क**
2. रामदेव पुत्र बरदा,
3. लालाराम पुत्र बरदा,
4. श्रीमती हीरा पुत्री बरदा,
   जाति रेगर, निवासी फतेहगढ, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. सोजी पुत्र नन्दा जाति मीणा, निवासी रात्या का झौपड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर । **फौत (नाम तर्क)**

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 13.10.2009 अंतर्गत वाद संख्या 312/2006.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खां, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अरविन्द कराडिया, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 6 फौत।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 21·10·2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 पेश कर कथन किया कि ग्राम गठियाली तहसील केकड़ी में स्थित आराजी खसरा नंबर 2696 लगायत 2701 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार बिरदा पुत्र इसरा थे तथा खातेदार से दो विक्रय पत्रों के जरिये दिनांक 12.6.1969 को क्रय कर कब्जा काश्त ले लिया था तथा विक्रेता बिरदा के फौत होने पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम विरासत का नामांतकरण अंकित होने से प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमादा हो रहे है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2009 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज स्व0 बिरदा के द्वारा उपरोक्त भूमियों का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 12.6.1969 को कर दिया था तब उसके पश्चात् प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार विवादित भूमियों में शेष नही रहा इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण को जबरन कब्जा करने की अप्रत्यक्ष अनुज्ञा प्रदान कर दी है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । प्रतिवादीगण के पजर्वज द्वारा उपरोक्त भूमियों का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण को कर दिये जाने से उसके व उसके वारिसान के समस्त हक व अधिकार समाप्त हो गये थे परन्तु अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 की धारा 63 का अवलोकन किये बिना ही वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि पर क्रय दिनांक से अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि पर स्वंय का गलत इंद्राज करवा लेने मात्र से उन्हें कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाते है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी क्योंकि प्रार्थी अपनी आजीविका कमाने के लिए गुजरात चला गया था तथा वे ही इस मुकदमे की देखभाल करता था । प्रार्थी जब अपने गांव आया तथा अपने वकील से जाकर मुकदमे की जानकारी दिनांक 10.8.2015 को की तो प्रार्थी को बताया की मुकदमा तो पूर्व में खारिज हो गया है इस पर प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन कराया जिस पर दिनांक 13.8.2015 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने विवादित आराजियात के खातेदार बिरदा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.6.1969 को क्रय किये जाने के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । अपीलांटस जाति से मीणा होकर विक्रय दिनांक को स्वर्ण जाति के सदस्य थे तथा विक्रेता बिरदा जाति से रेगर होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है । मीणा जाति को सन् 1977 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है । अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर रेस्पो0 जो कि विक्रय के समय स्वर्ण जाति के सदस्य थे, को घोषणा का हक प्राप्त नहीं हो सकता है । अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित विक्रय राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42 का स्पष्टतया उल्लघंन है तथा ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2009 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर